	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-01-26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 414 सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 121 व 122 सरहद मौजा श्रीराम नगर तहसील सिवाना में अवस्थित है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सर्वे रिसर्वे के दौरान पुराना खसरा संख्या 414 अनुसार नक्शे में तरमीम न कर भिन्न तरमीम कर दी तथा प्रार्थी के उक्त रेकडेर्ड कब्जा सुद भूमि में पडौसी खसरो को शामिल कर दिया जबकि प्रार्थी पूर्व के नक्शे अनुसार प्रार्थी आज भी मौके पर काबिज काश्त है जिससे प्रार्थी को अपने कब्जे को लेकर निरन्तर संशय बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 121 व 122 मे हुई अशुद्धि को दुरूस्त कर सर्वे रिसर्वे से पूर्व के नक्शा अनुसार तथा वर्तमान कब्जे अनुसार नक्शा तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता को सुना तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि का पुराना खसरा संख्या 414 का ROR 3.1742 हैक्टेयर एंव सर्वे पश्चात खसरा संख्या 122 का NCM 3.1935 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 121 का NCM 0.0006 हैक्टेयर कुल NCM 3.1941 हैक्टेयर है। प्रार्थी का रकबा सर्वे रिसर्वे के पश्चात 0.63 प्रतिशत बढा है जो अनुज्ञेय सीमा मे है राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी का रकबा पूर्ण है खसरा संख्या 122 ग्राम की सीमा पर स्थित है अतः राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना असम्भव है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 19.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	